



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

(रेल मंत्रालय का उपक्रम)

DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED

(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

सक्षम प्राधिकारी (भू0अ0) रेलवे

नगर मजिस्ट्रेट फिरोजाबाद

दिनांक:- 05.03.2018

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सतीश चंद्र पुत्र श्री जानकी प्रसाद निवासी- ग्राम व पोस्ट बघाई (प्रथम) तहसील- टूंडला जनपद- फिरोजाबाद, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- I आपके कार्यालय के पत्र संख्या 517 दिनांक 19.12.2017 मुख्य परियोजना प्रबन्धक/आगरा कार्यालय में पत्र प्राप्त दिनांक 21.12.2017.

II उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला के पत्र सं. TDL/EN/RTI/212(A) दिनांक- 05.03.2018.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I में श्री सतीश चंद्र पुत्र श्री जानकी प्रसाद निवासी- ग्राम व पोस्ट बघाई (प्रथम) तहसील- टूंडला जनपद- फिरोजाबाद, की जानकारी के लिये RTI प्राप्त हुई इसकी जानकारी हेतु उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक टूंडला को निर्देशित किया गया। सन्दर्भित पत्र सं. II के तहत उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला से जो जानकारी प्राप्त हुई वह निम्नलिखित है:-

क्रम सं	चाही गयी जानकारी	उपलब्ध जानकारी
क.	भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं 1874 की किस धारा के अधीन रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0एफसी0सी0आई0एल0 हेतु भूमि अर्जित की गई है। छायाप्रति	डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 हेतु भूमि का अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम 2008 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।
ख.	रेल मालभाडा कारीडोर हेतु भारत सरकार द्वारा पारित गजट एवं विस्थापित किसानों को दी जाने वाली सुविधा छायाप्रति सहित।	डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 हेतु भूमि का अधिग्रहण रेल संशोधन अधिनियम 2008 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर और परिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विस्थापित किसानों को दी जाने वाली सुविधा का मौलिक पात्रता सूची में बिन्दुवार उल्लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है।

(शुभाष चंद्र) 07/3/18

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/टूंडला

प्रतिलिपि- DGM/PIO DFCCIL, नई दिल्ली को सूचनार्थ हेतु।